

पत्रसं-स०८०-२५क-परिपत्र -जनगणना -१०-११/ १८०८/- १०११०८९

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊः दिनांक ०३ फरवरी, २०११

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-२(वि०अनु०शा०)

ज्वाइन्ट कमिशनर / डिप्टी कमिशनर (वि०अनु०शा०)


असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी (सचल दल/ वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अपने अ०शा०प०स०- १४०११/२०/२०१०- DDU -२३/ MS/ G Y दिनांक ३०-१२-१० से शासन को यह अवगत कराया गया है कि दिनांक ०९ फरवरी २०११ से २८ फरवरी २०११ की अवधि में Census of India 2011 का द्वितीय चरण शुरू होगा। इसके लिए बड़ी मात्रा में Schedules and Instruction Manuals को छपाने की आवश्यकता पड़ेगी। छपी हुई सामग्री जो corrugated boxes में पैकड़ होगी उसे प्रान्त बाहर से प्रान्त में परिवहन किया जायेगा और उसका प्रयोग जनगणना कार्य में किया जायेगा। पत्र में यह आशंका व्यक्त की गयी है कि प्रदेश के अन्दर आने वाले उक्त माल को बिक्री के उद्देश्य से लाया जाना मानते हुए प्रदेश के वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा रोका जायेगा और वाणिज्य कर भुगतान के लिए कहा जायेगा। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपने प्रदेश के वाणिज्यकर अधिकारियों को यह निर्देश जारी कर दिये जायें कि जनगणना के कार्य हेतु लाई जा रही उपर्युक्त प्रकार की सामग्री लाने वाले वाहनों को न रोका जाय।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि जनगणना कार्य हेतु सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि विभाग की तरफ से उनके परिवहन में अनावश्यक रूप से कोई विलम्ब अथवा व्यवधान उत्पन्न न हो।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाय।


कमिशनर, वाणिज्य कर,
उ०प्र०।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग उ०प्र०शा०स०-४० / तीन-२०१० दिनांक १०-०१-११ के सन्दर्भ में।
- संयुक्त सचिव, स्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-५६ / ग्यारह-२-२०११-९(१) २०११ दिनांक २१-०१-२०११ के सन्दर्भ में।
- संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- सचलदल अनुभाग को ०५ प्रतियाँ अतिरिक्त।


(एम० के० श्रीवास्तव)

ज्वाइन्ट कमिशनर (स०८०) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ